उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल-संरक्षण अधिनियम, 1963

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16, 1963)

THE UTTAR PRADESH BHOOMI EVAM JAL SANRAKSHAN ADHINIYAM, 1963

(U.P. Act No. XVI of 1963)

उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल–संरक्षण अधिनियम, 1963[1]

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16, 1963]

(उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 28 मार्च 1963 तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने दिनांक 10 अप्रैल, 1963 की बैठक में स्वीकृत किया।

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत राष्ट्रपति महोदय ने 23 मई, 1963 को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेश सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 29 मई, 1963 को प्रकाशित हुआ।)

उत्तर प्रदेश में भूमि एवं जल साधनों के संरक्षण तथा सुधार सम्बंधी विधि को संशोधित और संहत करने के लिए

अधिनियम

भारतीय गणतंत्र के चौदहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है–––

अध्याय–1

प्रारम्भिक

शीर्ष नाम, और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल–संरक्षण अधिनियम 1963 कहलायेगा।

(2) यह प्रथम अनुसूची में उल्लिखित जिलों[2] में तुरन्त प्रचलित होगा। शेष जिलों में यह उस दिनांक से प्रचलित होगा जो राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा तदर्थ नियत करे और विभिन्न जिलों के लिये विभिन्न दिनांक नियत किये जा सकते है।

---

1. उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिए 29 मई, 1963 का उत्तर प्रदेश सरकारी असाधारण गजट देखिये।
2. धारा 1 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अनुसूची में दर्शाये गये जिले–

क्रम सं0	जिले का नाम	सरकारी अधिसूचना की संख्या एवं दिनांक
1.	आगरा	
2.	फतेहपुर	
3.	हमीरपुर	
4.	जालौन	उ0 प्र0 भूमि एवं जल संरक्षण अधिनियम 1963–
5.	झांसी	उ. प्र. अधिनियम संख्या 16, 1963
6.	मथुरा	
7.	मिरजापुर	
8.	प्रतापगढ़	
9.	सुल्तानपुर	
10.	टेहरी गढ़वाल	
11.	लखनऊ	
12.	सीतापुर	
13.	फरूखाबाद	
14.	इलाहाबाद	
15.	बांदा	
16.	मेरठ	
17.	वाराणसी	सं. एच–4335 / XII बी–1500
18.	कानपुर	1963 दिनांक 2 अगस्त 1963 के अधिसूचना को देखें। अधिनियम में नोट किये गये
19	उत्तरकाशी	प्रथम 16 जिलों में डी. एस. जी. ओ. का पद बी0 एस0 ए0 हुआ।
20.	बुलन्दशहर	संख्या यच–5299 / XII ––बी––1489 / दिनांकित अगस्त 29, 1963
		संख्या यच–334 / XII ––बी1141 / 62 दिनांक 11 मार्च, 1964
21	देहरादून	संख्या एच–1549 / XII–बी––1489 / 63 दिनांक 15 अप्रैल, 1964.
22	सहारनपुर	
23	मुजफ्फरनगर	
24	इटावा	
25	उन्नाव	
26	गाजीपुर	संख्या एच––4594 / XII ––बी–– दिनांक 22 सितम्बर, 1964
27	आजमगढ़	
28	जौनपुर	
29	रायबरेली	
30	अलीगढ़	

परिभाषायें

2–विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में–––

(1) किसी ऐसी भूमि के संबंध में जिसे योजना के कार्यान्वयन से लाभ हुआ हो या होने की संभावना हो, "लाभग्राही" का तात्पर्य –

(क) भूमिधर या सीरदार द्वारा धृत भूमि के संबंध में, उस भूमिधर या सीरदार से है;

और

(ख) किसी अन्य संबंध में, भूमि के ऐसे स्वामी, धारक या अध्यासी से है जिसे भूमि संरक्षण अधिकारी, भूमि में उसके हित के प्रकार और योजना के कार्यान्वय से भूमि को हुए या संभावित लाभों को दृष्टि में रखकर, नियत रीति से लाभग्राही घोषित करे और उसके अन्तर्गत लाभग्राही के हित–उत्तराधिकारी भी है;

(2) "भूमि संरक्षण अधिकारी" का तात्पर्य धारा 8 के अधीन नियुक्ति अधिकारी से है;

(3) "बोर्ड" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन स्थापित भूमि एवं जल–संरक्षण बोर्ड से है;

(4) "सभापति" का तात्पर्य बोर्ड के सभापति से है;

(5) सिवाय धारा 6 के प्रयोजनों के लिए, "कलेक्टर" के अन्तर्गत अपर कलेक्टर भी है;

(6) "आयुक्त" के अन्तर्गत अपर आयुक्त भी है;

(7) "निदेशक" का तात्पर्य कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, से है और इसके अन्तर्गत अपर कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, भी है ;

उ0 प्र0 अधि0 सं0 33, 1961

(8) "खण्ड" का तात्पर्य किसी ऐसे क्षेत्र से है जो उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 3 के अधीन राज्य सरकार द्वारा इस रूप में निर्दिष्ट किया जाये;

पिछले पृष्ठ से जारी.....

क्रम सं0	जिले का नाम	सरकारी अधिसूचना की संख्या एवं दिनांक
31.	मैनपुरी	
32.	देवरिया	संख्या एच––1476 / XII ––बी––1500 / 63 दिनांक 25 मई, 1967.
33.	गोरखपुर	
34.	बस्ती	संख्या एच––4594 / XII ––बी–– दिनांक 22 सितम्बर, 1964
35.	गोंडा	
36.	बहराइच	
37.	फैजाबाद	
38.	पौढ़ी गढ़वाल	
39.	बलिया	संख्या एच––317 / XII ––बी––1500 / 1963 दिनांक 21 मार्च, 1967
40.	बाराबंकी	
41.	आल्मोड़ा	
42.	एटा	संख्या एच––3636 / XII ––बी––1500 / 1963 दिनांक 27 नवम्बर, 1968
43.	मुरादाबाद	
44.	बरेली	
45.	बिजनौर	
46.	रामपुर	
47.	शाहजहांपुर	
48.	चमोली	
49.	नैनीताल	संख्या एच––5885 / XII ––बी––1228 / 69 दिनांक 29 दिसम्बर 1971
50.	पीलीभीत	
51.	बदांयू	
52.	हरदोई	
53.	लखीमपुर खीरी	
54.	पिथौरागढ़	

(9) "योजना" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन तैयार की गई योजना से है ;

(10) "नियत" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित से है;

(11) "अनुसूची" का तात्पर्य इस अधिनियम की अनुसूची से है;

(12) "भूमि एवं जल–संरक्षण" का तात्पर्य भूमि एवं जल साधनों के उद्धार, अनुरक्षण तथा सुधार से है और द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित प्रत्येक उपाय इसके अन्तर्गत है ;

(13) "सचिव" का तात्पर्य बोर्ड के सचिव से है ;

(14) "राज्य" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य से है ;

(15) "कार्य" का तात्पर्य योजना के अधीन किये गये अथवा किये जाने वाले किसी कार्य से है और इसके अन्तर्गत योजना के अधीन व्यवस्थित या लगाया गया पशुचर अथवा वन भी है

(16) "जिला समिति" का तात्पर्य धारा 6 के अधीन स्थापित जिला भूमि एवं जल–संरक्षण समिति से है ;

(17) पद "भूमिधर" और "सीरदार" के वही अर्थ होंगे जो 1950 ई0 के उत्तर प्रदेश जमींदारी–विनाश और भूमि–व्यवस्था अधिनियम में दिये गये है; **1951 ई0 का उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 1**

अध्याय–2

प्रशासन तंत्र

बोर्ड की स्थापना और उसका संघटन

3–(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके, राज्य के लिए एक भूमि एवं जल–संरक्षण बोर्ड की स्थापना करेगी।

(2) बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगेः———

(क) कृषि विभाग के प्रभारी मंत्री, जो सभापति भी होंगे ;

(ख) उप–मंत्रियों और सभासचिवों में से तीन से अनधिक जिन्हें राज्य सरकार नियुक्त करेगी;

(ग) राज्य सरकार के कृषि विभाग के सचिव ;

(घ) कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, जो सचिव भी होंगे;

(ङ) विधान–सभा के चार सदस्य और विधान परिषद् के दो सदस्य, जिन्हें, यथा स्थिति, विधान सभा या विधान परिषद् चुनेगी ;

(च) पांच से अनधिक सदस्य जिन्हें राज्य सरकार नियुक्त करेगी; और

(6) पांच से अनधिक सदस्य जिन्हें खण्ड (क) से (च) तक में उल्लिखित सदस्य अनुमेलित करेंगे।

सदस्यों का कार्य काल

4–(1) धारा 3 की उप–धारा (2) के खण्ड (च) या खण्ड (छ) में उल्लिखित सदस्य का कार्यकाल दो वर्ष का होगा।

(2) यदि कोई सदस्य उस पद पर न रहे जिसके कारण यह बोर्ड की सदस्यता का पात्र हुआ हो, तो वह सदस्य न रहेगा।

बोर्ड के कृत्य

5–बोर्ड के निम्नलिखित कृत्य होंगे :–

(क) भूमि एवं जल–संरक्षण के लिये नीतियां निर्धारित करना;

(ख) योजनाओं के अन्तर्गत कार्य के समन्वय के और उनके संबंध में कठिनाईयां दूर करने के उपाय और साधन निकालना ;

(ग) योजनाओं के अन्तर्गत की गई प्रगति की समीक्षा करना;

(घ) ऐसे अन्य कृत्यों का सम्पादन करना जो इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन निर्दिष्ट किये जायें।

जिला समितियों की स्थापना और उनका संघटन

6–(1) प्रत्येक जिले के लिये नियत रीति से एक जिला भूमि एवं जल–संरक्षण समिति स्थापित की जायेगी।

(2) जिला समिति में निम्नलिखित होंगेः–

(क) कलेक्टर, जो उसका सभापति भी होगा ;

(ख) अंतरिक जिला परिषद् या जिला परिषद् का अध्यक्ष ;

(ग) विधान सभा के सदस्य जिनके निर्वाचन–क्षेत्र में जिले का कोई भाग सम्मिलित हो;

(घ) जिले में नियोजन विभाग के कार्य का प्रभारी अधिकारी ;

(ङ) जिला कृषि अधिकारी ;

(च) भूमि संरक्षण अधिकारी, जो जिला समिति का सचिव भी होगा;

(छ) जिले या उसके किसी भाग में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियन्ता;

(ज) जिले या उसके किसी भाग में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले प्रभागीय वन अधिकारी (डिवीजनल फारेस्ट आफीसर्स) ;

(झ) जिले के क्षेत्र समितियों के प्रमुख, और

(ञ) कलेक्टर द्वारा प्रतिवर्ष नियुक्त किया जाने वाला एक से अनधिक ऐसा व्यक्ति जो भूमि एवं जल–संरक्षण में अभिरूचि रखता होः

प्रतिबन्ध यह है कि विधान सभा के सदस्य, अधिशासी अभियन्ता, प्रभागीय वन अधिकारी या प्रमुख को जिला समिति को केवल उस कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार होगा जिनका सम्बन्ध, यथास्थिति, किसी ऐसे क्षेत्र की योजना से हों, जिससे वह उक्त सदस्य के रूप में निर्वाचित हुआ हो या जिस पर वह उक्त अभियन्ता, अधिकारी या प्रमुख के रूप में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता हो।

(3) जिला समिति की सदस्यता या उसकी किसी कार्यवाही में भाग लेने के अधिकार से संबंधित किसी विवाद का निर्णय उसके सभापति द्वारा किया जायेगा जिसका उस विषय में निर्णय अंतिम होगा।

जिला समिति के कृत्य

7–जिला समिति के निम्नलिखित कृत्य होंगे–,

(क) भूमि एवं जल–संरक्षण कार्य में लोगों को शिक्षित करने के लिये कार्यवाही करना;

(ख) जिले या उसके किसी भाग का सर्वेक्षण करने, आधार सामग्री एकत्र करने तथा योजनाएं तैयार करने और तत्संबंधी आनुषंगिक कृत्यों का सम्पादन करने के लिये भूमि संरक्षण अधिकारी को निदेश देना ;

(ग) इस प्रकार तैयार की गयी योजनाओं पर विचार और उनका अनुमोदन करना;

(घ) योजनाओं के यथोचित कार्यान्वय को सुनिश्चित करने के लिये कार्यवाही करना और तद्धीन कार्य की प्रगति देखते रहना ;

(ङ) योजनाओं का दक्षतापूर्ण कार्यान्वय सुनिश्चित करने के लिये राज्य सरकार से सिफारिश करना ;

(च) योजना के संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये निदेशों का पालन करना ; और

(छ) ऐसे अन्य कृत्यों का सम्पादन करना जो इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन निर्दिष्ट किये जायें।

भूमि संरक्षण अधिकारी

8–(1) राज्य सरकार प्रत्येक जिले के लिये एक भूमि सरंक्षण अधिकारी नियुक्त करेगीः

प्रतिबन्ध यह है कि एक ही व्यक्ति एक से अधिक जिलों के लिये भूमि संरक्षण अधिकारी नियुक्त किया जा सकता है या एक ही जिले में एक से अधिक व्यक्ति भूमि संरक्षण अधिकारी नियुक्त किये जा सकते है।

(2) भूमि संरक्षण अधिकारी योजनाओं को कार्यान्वित करेगा और ऐसे अन्य कृत्यों का सम्पादन करेगा जो इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन निर्दिष्ट किये जायें।

अध्याय–3

भूमि एवं जल–संरक्षण योजना तैयार करना

भूमि एवं जल संरक्षण योजना तैयार करना

9–(1) जिला समिति यह संकल्प कर सकती है, और यदि राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार का निदेश दिया जाये तो वह अवश्य ऐसा संकल्प करेगी, कि जिले या उसके किसी भाग में भूमि एवं जल–संरक्षण का कार्य हाथ में लिया जायं।

(2) उपधारा (1) के अधीन जिला समिति के संकल्प पर भूमि संरक्षण अधिकारी एक प्रारूप योजना तैयार करेगा जिसमें निम्नलिखित बातें दी होंगीः–

(क) योजना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र का विस्तार और उसके ब्यौरे;

(ख) प्रस्तावित कार्य के ब्यौरे;

(ग) योजना के कार्यान्वयन का कार्यक्रम ;

(घ) कार्य जो किसी लाभग्राही द्वारा अपने व्यय से किया जायेगा ;

(ङ) योजना के कार्यान्वयन के उपाय और साधन; जिनमें प्राप्य सरकारी अनुदान का भी ध्यान रखा जायेगा ;

(च) अभिकरण, जिसके या जिनके द्वारा कार्य किया जायेगा ; और

(छ) ऐसे अन्य विवरण जो नियत किये जाय ।

(3) किसी कार्य को अपने व्यय से करने का उत्तरदायित्व लाभग्राही पर डालने में उस कार्य से उसकी भूमि को होने वाले या संभावित लोगों का ध्यान रखा जायेगा

योजना पर विचार और उसका अनुमोदन

10–(1) प्रारूप योजना जिला समिति के समक्ष रखी जायेगी जो उस पर विचार करेगी और उपधारा (2) तथा (3) के अधीन उसे प्रकाशित करने की आज्ञा देगी।

(2) जिला समिति द्वारा प्रकाशन की आज्ञा दी जाने पर, भूमि संरक्षण अधिकारी नियत प्रपत्र में एक नोटिस तैयार करेगा जिसमें इस बात का उल्लेख होगा कि योजना कहां और किस समय सर्वसाधारण द्वारा निःशुल्क देखी जा सकती है। नोटिस का प्रकाशन कलेक्टर, भूमि संरक्षण अधिकारी, तहसीलदार और खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालयों में चिपका कर किया जायेगा। वह उस गांव या उन गांवों में जिनके संबंध में प्रारूप योजना हो, डुग्गी पिटवा कर भी प्रकाशित किया जायेगा।

(3) प्रारूप योजना की एक प्रति उस खण्ड की कृषि एवं उत्पादन समिति को भेजी जायेगी जिसमें कार्य किया जायेगा। समिति एक विशेष बैठक में, जो उक्त प्रयोजन के लिये बुलायी जाये, योजना पर विचार करेगी और प्रारूप योजना प्राप्त होने के दिनांक से तीस दिन के भीतर, भूमि संरक्षण अधिकारी को लिखित रूप में ऐसी आपत्तियां भेज सकती है जो वह आवश्यक समझे।

(4) उपधारा (2) के अधीन नोटिस के प्रकाशित होने पर कोई भी व्यक्ति जिस पर योजना का प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, डुग्गी पीटकर प्रकाशन किये जाने के दिनांक से तीस दिन के भीतर, जिला भूमि संरक्षण अधिकारी को लिखित रूप में आपत्तियां भेज सकता है।

(5) यदि अनुमत समय के भीतर उपर्युक्त उपबन्धों के अधीन कोई आपत्ति न की जायें, तो यथाप्रकाशित योजना अन्तिम हो जायेगी।

(6) यदि अनुमत समय के भीतर उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन कोई आपत्ति की जाये, तो भूमि संरक्षण अधिकारी नियत रीति से उसकी सुनवाई करेगा और आपत्तियों सहित अपना प्रतिवेदन जिला सचिव को प्रस्तुत करेगा।

(7) आपत्तियों और उपधारा (6) के अधीन प्रस्तुत प्रतिवेदन पर तथा किसी अन्य ऐसे प्रतिवेदन पर जिसके भूमि संरक्षण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये जाने की वह अपेक्षा करे, विचार करने के पश्चात् जिला समिति योजना को परिष्कार सहित या बिना किसी परिष्कार के अनुमोदित कर सकती है और इस प्रकार अनुमोदित योजना अन्तिम हो जायेगी।

योजना का प्राविधिक पहलू

11–(1) निदेशक या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति जिला समिति की प्रत्येक ऐसी बैठक में उपस्थित रहेगा जिसमें प्रारूप योजना के संबंध में आपत्ति विचाराधीन हो।

(2) धारा 10 की उपधारा (7) में किसी बात के होते हुए भी, जिला समिति निदेशक या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति की सहमति के बिना कोई ऐसा परिष्कार न करेगी जिससे कि प्रारूप योजना के प्राविधिक पहलू पर कोई प्रभाव पड़े।

(3) किसी परिष्कार से प्रारूप योजना के प्राविधिक पहलू पर प्रभाव पड़ता है अथवा नहीं, इस बात का निर्णय जिला समिति के सभापति द्वारा किया जायेगा।

योजना का प्रकाशन

12–योजना के अंतिम हो जाने के पश्चात्, भूमि–संरक्षण अधिकारी, नियत रीति से एक सामान्य नोटिस प्रकाशित करेगा जिसमें यह सूचना दी जायेगी कि योजना अंतिम हो गयी है और नोटिस में उल्लिखित स्थान पर सर्वसाधारण द्वारा वह निःशुल्क देखी जा सकती है।

योजना में अनुवर्ती परिवर्तन तथा भूल सुधार

13–धारा 10 में किसी बात के होते हुए भी–

(1) निदेशक, योजना में ऐसे छोटे–मोटे परिवर्तन कर सकता है जो किन्हीं अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण भूमि में होने वाले परिवर्तनों के फलस्वरूप किसी भी समय आवश्यक हो जायें:

प्रतिबंध यह है कि कोई ऐसा परिवर्तन जो किसी लाभग्राही के प्रतिकूल हो, उसे सुनवायी का अवसर दिये बिना व किया जायेगा।

(2) यदि भूमि संरक्षण अधिकारी का समाधान हो जाय कि योजना में कोई लिपिक या गणना संबंधी भूल है तो वह उसे, स्वतः अथवा हित रखने वाले व्यक्ति के प्रार्थना–पत्र देने पर, नियत रीति से सुधार कर सकता है।

अध्याय–4

भूमि पर अस्थायी कब्जा करना और प्रतिकर का भुगतान

भूमि पर अस्थायी कब्जा करने के लिए आज्ञा

14–(1) यदि कलेक्टर का यह समाधान हो जाये कि योजना के कार्यान्वय के प्रयोजनार्थ यह आवश्यक है कि किसी भूमि पर अस्थायी कब्जा कर लिया जाये तो वह आज्ञा द्वारा, भूमि संरक्षण अधिकारी को पांच वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिये, जो आज्ञा में निर्दिष्ट की जाये, उस भूमि पर अस्थायी कब्जा करने का निदेश दे सकता है।

(2) कलेक्टर, आज्ञा द्वारा समय–समय पर अस्थायी कब्जे की अवधि बढ़ा सकता है किन्तु अस्थायी कब्जे की अवधि किसी भी दशा में कुल मिलाकर दस वर्ष से अधिक की न होगी।

स्पष्टीकरण– इस धारा के प्रयोजनार्थ "भूमि" के अन्तर्गत कोई ऐसी भूमि नहीं है जिस पर कोई स्थायी प्रकार का भवन हो।

भूमि पर कब्जा करना

15–भूमि संरक्षण अधिकारी या उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी धारा 14 के अधीन आज्ञा के अनुसरण में भूमि पर अस्थायी कब्जा कर लेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि कब्जा करने के दिनांक तथा अभिप्राय को, उक्त दिनांक से कम से कम पन्द्रह दिन पूर्व नियत रीति से विज्ञापित किये बिना कब्जा न किया जायेगा।

कब्जे की अवधि का प्रतिकर

16–(1) भूमि पर कब्जा करने के दिनांक के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, कलेक्टर जांच करेगा और प्रत्येक ऐसे वर्ष या वर्ष के भाग के लिये, जिसमें भूमि उक्त अस्थायी कब्जे में रहे, देय प्रतिकर और उसे पाने के हकदार व्यक्ति का अवधारण करेगा।

(2) प्रतिकर एवं उनके पाने के हकदार व्यक्ति के अवधारण के प्रयोजन से कलेक्टर नियत रीति से एवं नियत प्रपत्र में एक सामान्य नोटिस जारी करेगा जिसमें सम्बद्ध व्यक्तियों से यह अपेक्षा की जायेगी कि वे अपने दावे नोटिस में निश्चित दिनांक तक तथा नियत रीति से प्रस्तुत करें :

प्रतिबन्ध यह है कि कलेक्टर कारण अभिलिखित करके उक्त दिनांक को आगे के लिये बढ़ा सकता है।

(3) कलेक्टर दावों की सुनवाई के लिये एक दिनांक भी निश्चित करेगा और उस दिनांक पर, या यदि सुनवाई किसी अन्य दिनांक के लिए स्थगित हो जाये तो उसे अन्य दिनांक पर वह ऐसा सब साक्ष्य सुनेगा जो किसी दावेदार के द्वारा प्रस्तुत किया जाये तथा वह अन्य साक्ष्य भी ले सकता है जो वह आवश्यक समझे।

अधिनियम संख्या 5, 1908

(4) प्रतिकर एवं उसके पाने के हकदार व्यक्तियों के अवधारण के लिये कलेक्टर को वे सब अधिकार प्राप्त होंगे जो निम्नलिखित विषयों के संबंध में किसी वाद पर विचार करते समय कोड आफ सिविल प्रोसीजर, 1908, के अधीन किसी न्यायालय में निहित होते है, अर्थात्–

(क) किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिये बाध्य करना अथवा किसी का शपथ अथवा प्रतिज्ञान पर बयान लेना,

(ख) किसी साक्षी का बयान लेने के लिये अथवा स्थानीय जांच के के लिये कमीशन जारी करना;

(ग) कोई लेख्य प्रस्तुत करने के लिये बाध्य करना ;

(घ) ऐसी अन्तरिम आज्ञायें देना जो न्याय की दृष्टि से आवश्यक हों।

(5) प्रतिकर का अवधारण करने में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जायेगा :––

(क) अस्थायी कब्जा किये जाने के दिनांक से ठीक तीन वर्ष पूर्व की अवधि में भूमि से प्राप्त शुद्ध औसत वार्षिक आय और उस भूमि के विषय में जिसकी कोई ऐसी आय न हो उक्त अवधि में, उस स्थान की उसी प्रकार की अन्य भूमि से प्राप्त शुद्ध औसत वार्षिक आय, यदि कोई हो;

(ख) कब्जा–च्युत किये जाने के परिणामस्वरूप व्यक्ति को हुई क्षति, यदि कोई हो ;

(ग) भूमि को हुई या संभावित क्षति, यदि कोई हो ; और

(घ) ऐसी अन्य बातें जो कलेक्टर को उक्त अवधारण के प्रयोजनों के लिये संगत प्रतीत हों।

(6) उपधारा (1) के अधीन किये गये अवधारण से क्षुब्ध कोई व्यक्ति उस अवधारण के दिनांक से तीस दिन के भीतर आयुक्त के समक्ष अपील कर सकता है, जो उस पर ऐसी आज्ञा दे सकता है जो वह उचित समझे।

(7) यदि आयुक्त का समाधान हो जाये कि तीस दिन की अवधि के भीतर अपील न किये जाने का पर्याप्त कारण था तो वह उक्त अवधि के बाद भी अपील ग्रहण कर सकता है।

(8) इस प्रकार अवधारित प्रतिकर का भुगतान उस व्यक्ति को वार्षिक किस्तों के रूप में नगदी में किया जायेगा जो इस धारा के अधीन उसका हकदार पाया जाये और ऐसा भुगतान कर दिए जाने पर राज्य सरकार तथा उसके अधिकारी उस अवधि के प्रतिकर के सम्पूर्ण दायित्व से अन्तिम तथा पूर्ण रूप से उन्मुक्त हो जायेगे जिसके संबंध में भुगतान किया गया हो; किन्तु इससे किसी अन्य व्यक्ति के प्रतिकर पाने के उस अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ेगा, जिसे वह यथोचित विधि–प्रक्रिया द्वारा उस व्यक्ति के विरूद्ध जिसे इस अधिनियम के अधीन भुगतान किया गया हो, प्रवर्तित करने का हकदार हो।

कब्जे की वापसी

17–(1) जब भूमि से अस्थायी कब्जा हटाना हो, और किसी भी दशा में अस्थायी कब्जे के लिये निश्चित अवधि की समाप्ति के पूर्व, कलेक्टर, नियत रीति से जांच करने के पश्चात् लिखित आज्ञा द्वारा–

(क) यह अवधारित करेगा कि किस व्यक्ति को कब्जा वापस करना है; और

(ख) यह घोषित करेगा कि उसे भूमि का कब्जा उस दिनांक को वापस किया जायेगा, जो आज्ञा निर्दिष्ट कया गया हो।

(2) उक्त आज्ञा में निर्दिष्ट दिनांक को भूमि का कब्जा उसमें उल्लिखित व्यक्ति को दिया गया समझा जायेगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन कब्जा दिये जाने पर राज्य सरकार तथा उसके अधिकारी कब्जा वापस करने के संबंध मे संपूर्ण दायित्व से अन्तिम तथा पूर्णरूप से उन्मुक्त हो जायेंगे किन्तु इससे किसी अन्य व्यक्ति के भूमि संबंधी ऐसे अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ेगा, जिसे वह यथोचित विधि प्रक्रिया द्वारा उस व्यक्ति के विरूद्ध जिसे भूमि का इस प्रकार कब्जा दिया गया हो, प्रवर्तित करने का हकदार हो।

अध्याय–5

योजना का कार्यान्वयन

कार्य निष्पादित करने के लिये निदेश

18–(1) भूमि संरक्षण अधिकारी नोटिस द्वारा किसी लाभग्राही से यह अपेक्षा कर सकता है कि वह नोटिस में निर्दिष्ट किसी ऐसे कार्य को जो योजना के अनुसार उस व्यक्ति द्वारा अपने व्यय से किया जाना है, नोटिस में उल्लिखित रीति से और (उसमें उल्लिखित) अवधि के भीतर अपने व्यय से करे।

(2) यदि लाभग्राही भूमि संरक्षण अधिकारी को लिखित रूप से यह सूचित करे कि वह कार्य को उपयुक्त समय के भीतर करने में असमर्थ है, या यदि कार्य तदर्थ निश्चित दिनांक तक या ऐसे और समय के भीतर, जिसकी भूमि संरक्षण अधिकारी अनुमति दे, उक्त अधिकारी के संतोषानुसार न किया जाये, तो भूमि संरक्षण अधिकारी उस कार्य को करा लेगा और किये गये व्यय को तदर्थ नियत उपबन्धों के अधीन रहते हुए लाभग्राही से मालगुजारी के बकाये के रूप में वसूल करेगा।

(3) उपधारा (1) और (2) में किसी बात के होते हुए भी, यदि कलेक्टर का यह विचार हो कि किसी कार्य को भूमि संरक्षण अधिकारी द्वारा करवा लेना जनसाधारण के हित में होगा तो वह उस कार्य को करने का उक्त अधिकारी को निदेश दे सकता है और उस कार्य का व्यय, भूमि संरक्षण अधिकारी तदर्थ नियत उपबंधों के अधीन रहते हुये लाभग्राही से, या लाभग्राहियों से ऐसे अनुपात में जो कलेक्टर उस कार्य से प्रत्येक लाभग्राही की भूमि को होने वाले लाभ तथा अन्य संगत बातों को ध्यान में रखते हुए निश्चित करे, मालगुजारी के बकाये के रूप में वसूल करेगा।

(4) यदि व्यय का भुगतान लाभग्राही या लाभग्राहियों द्वारा नियत समय के भीतर न किया जाये तो उस लाभग्राही या उन लाभग्राहियों पर उस पर ऐसा ब्याज देने का भी उत्तरदायित्व होगा जो नियत किया जाये।

भूमि संरक्षण अधिकारी का प्रगति प्रतिवेदन देना

19–(1) भूमि संरक्षण अधिकारी, ऐसे आकार में और ऐसे अन्तरालों पर जो नियत किये जायें, जिला समिति को योजनाओं के निष्पादन में हुई प्रगति का प्रतिवेदन देगा।

(2) प्रगति के प्रतिवेदन को एक प्रति कृषि निदेशक या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को भी भेजी जायेगी।

(3) निदेशक, योजनाओं की प्रगति पर बोर्ड को त्रैमासिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा।

राजस्व अभिलेखों में अधिकारों और दायित्वों की प्रविष्टि

20–भूमि संरक्षण अधिकारी योजना के अंतर्गत कार्य पूरा हो जाने पर नियत आकार में एक विवरण तैयार करेगा जिसमें वह लाभग्राहियों के अधिकारों तथा दायित्वों को दिखायेगा और उसे कलेक्टर को भेज देगा जो विवरण–पत्र के आधार पर राजस्व विभाग द्वारा रखे गये संगत ग्राम अभिलेखों तथा नक्शों में प्रविष्यिां करायेगा।

दायित्वों का निर्वहन

21–(1) लाभग्राही का यह कर्त्तव्य होगा कि वह–––

(क) किसी कार्य का अनुरक्षण तथा उसकी मरम्मत योजना की समयानुसार अपने व्यय से करे, और

(ख) योजना के अन्तर्गत आरोपित अपने अन्य दायित्वों का निर्वहन करे।

(2) यदि लाभग्राही उपधारा (1) के अपेक्षानुसार कार्य का अनुरक्षण या उसकी मरम्मत अथवा दायित्व का निर्वहन न करे तो कलेक्टर कार्य का अनुरक्षण या उसकी मरम्मत अथवा दायित्व का निर्वहन करा सकता है और वह ऐसे अनुरक्षण, मरम्मत या निर्वहन का व्यय लाभग्राही से मालगुजारी के बकाये के रूप में वसूल करेगा।

अध्याय–6

निवारक कार्यवाही और शास्तियां

भूमि एवं जल संरक्षण के प्रतिकूल कार्यवाही का निवारण

22–(1) यदि कोई व्यक्ति किसी भूमि पर कोई ऐसा कार्य करे जो भूमि एवं जल संरक्षण के हित के प्रतिकूल हो, तो कलेक्टर उसे इस बात का कारण बताने के लिये नोटिस देगा कि उसे उक्त कार्य करने से प्रतिषिद्ध करने की आज्ञा क्यों न दी जाये।

(2) नोटिस के प्राप्त होने पर उक्त व्यक्ति उस कार्य को रोक देगा तथा कार्य तब तक रूका रहेगा जब तक कि उक्त नोटिस रद्द न कर दिया जाये।

(3) जिस व्यक्ति पर नोटिस तामील किया गया हो, वह उसके प्राप्त होने के दिनांक से तीस दिन के भीतर कलेक्टर के समक्ष आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है।

(4) कलेक्टर आपत्तिकर्ता के सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् आपत्तियों का निस्तारण करेगा। यदि आपत्ति मान ली जाये तो कलेक्टर नोटिस को रद्द कर देगा अन्यथा वह उस व्यक्ति को उक्त कार्य करने से प्रतिषिद्ध करने को आज्ञा देगा।

(5) उपधारा (4) के अधीन कलेक्टर की आज्ञा से क्षुब्ध कोई व्यक्ति आज्ञा के दिनांक से तीस दिन के भीतर डिवीजन के आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है, जिसका उस पर निर्णय अंतिम होगा।

शांस्तियां

23–यदि कोई व्यक्ति बिना सम्यक् प्राधिकार के योजना के अन्तर्गत किसी कार्य को क्षति पहुचाये या उसमें रूकावट डाले अथवा इस अधिनियम या तदन्तर्गत बनाये गये किसी नियम या दी गयी आज्ञा के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन करे, वह सिद्ध–दोष ठहराये जाने पर तीन मास से अनधिक अवधि के कारावास अथवा पांच सौ रूपये से अनधिक अर्थ दण्ड से अथवा दोनों से दण्डनीय होगा और अपराध जारी रहने की दशा में ऐसे अतिरिक्त अर्थ–दण्ड से दण्डनीय होगा जो प्रथम दोष–सिद्धि के दिनांक के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिये जिसमें ऐसा अपराध जारी रहे 25 रूपये से कम न होगा।

अध्याय–7

विविध

अधिनियम के अधीन कार्यवाहियां

24–भूमि संरक्षण अधिकारी या कलेक्टर या आयुक्त के समक्ष इस अधिनियम के अधीन कार्यवाही, इण्डियन पीनल कोर्ड की धारा 193 और 228 के अर्थ में तथा उक्त कोड की धारा 196 के प्रयोजनों के लिये भी न्यायिक कार्यवाही समझी जायेगी।

रिक्त होने अथवा संघटन में दोष होने के कारण कार्यवाही का अवैध न होना

25–बोर्ड या जिला समिति में कोई रिक्ति होने या उसके संघटन में कोई दोष होने के कारण ही बोर्ड या जिला समिति का कोई कार्य या कार्यवाही अवैध न होगी।

बहुमत द्वारा निर्णय

26–यदि बोर्ड या जिला समिति के सदस्यों में किसी प्रश्न के संबंध में मतभेद हो तो उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के बहुमत का निर्णय अभिभावी होगा और मतों के बराबर होने की दशा में, यथास्थिति बोर्ड या जिला समिति के सभापति को निर्णायक मत देने का भी अधिकार होगा।

प्रवेश करने आदि का अधिकार

27–योजना को तैयार करने या उसके कार्यान्वय अथवा योजना के अन्तर्गत किसी कार्य की मरम्मत करने या उसका अनुरक्षण करने के प्रयोजनों के लिये भूमि संरक्षण अधिकारी और उसके द्वारा सामान्यतः या विशिष्ट रूप से तदर्थ प्राधिकृत कोई व्यक्ति किसी भूमि पर प्रवेश कर सकता है, उसका सर्वेक्षण कर सकता है और उसे चिन्हांकित कर सकता है और उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक सभी काम कर सकता है।

लेख्यों का निबंधन ऐक्ट सं0 16,1908

28–इंडियन रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1908 की किसी बात से यह न समझा जायेगा कि किसी ऐसे लेख्य या नक्शे का निबंधन अपेक्षित है, जो इस अधिनियम के अधीन तैयार की गयी योजना का भाग है।

लेख्यों और नक्शों का जनता द्वारा देखा जाना

29–इस संबंध में बनाये गये नियमों के अधीन रहते हुये जनसाधारण योजना से संबंधित सभी लेख्यों और नक्शों को देख सकेगें और उसकी प्रतिलिपियां किसी व्यक्ति को जो प्रार्थना करे नियत शुल्क का भुगतान करने पर दी जायेगी।

अवधारणों तथा आज्ञाओं का अंतिम होना

30–इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अन्यथा की गयी व्यवस्था के अधीन रहते हुये, इस अधिनियम या तदन्तर्गत बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसरण में किया गया कोई अवधारण या दी गयी कोई आज्ञा अन्तिम होगी और उस पर किसी विधि न्यायलय में आपत्ति न की जायेगी।

सद्भावना से किये गये कार्यों के विरूद्ध वाद या विधिक कार्यवाही का निषेध

31–इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये किसी नियम अथवा दी गयी किसी आज्ञा के किन्हीं उपबंधों के अनुसरण में सद्भावना से किये अथवा किये जाने के लिये अभिप्रेत किसी कार्य के संबंध में किसी व्यक्ति के विरूद्ध कोई वाद, विधिक कार्यवाही न की जा सकेगी।

इस अधिनियम के उपबंध अभिभावी होंगे

32–इस अधिनियम के उपबंध अभिभावी होंगे, भले ही तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में कोई बात उनसे असंगत हो।

नियम बनाने का अधिकार

33–(1) राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनार्थ नियम बना सकती हैः––

(2) पूर्वाक्त अधिकार की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती हैः––

(क) किसी व्यक्ति की लाभग्राही घोषित करने की प्रक्रिया और उसकी रीति;

(ख) बोर्ड और जिला समितियों की स्थापना और उसके संघटन से संबंधित विषय;

(ग) बोर्ड और जिला समितियों द्वारा कार्य–संचालन की प्रक्रिया (जिसमें गणपूर्ति भी है) ;

(घ) भूमि संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति और उनके कृत्य तथा एक ही जिले में भूमि संरक्षण अधिकारियो के कार्य का विभाजन;

(ड) प्रारूप योजना में दिये जाने वाले विवरण ;

(च) अस्थायी कब्जा लेने के अभिप्राय तथा दिनांक के विज्ञापन की रीति ;

(छ) ऐसी भूमि के लिए, जिसका अस्थायी कब्जा लिया गया हो देय प्रतिकर और उसे पाने के हकदार व्यक्तियों का अवधारण करने के निमित्त जांच करने की रीति;

(ज) समय जिसके भीतर भूमिसंरक्षण अधिकारी द्वारा किये गये कार्य के व्यय का भुगतान लाभग्राही द्वारा किया जायेगा, और ऐसे व्यय पर ब्याज;

(झ) आकार जिसमें और अन्तराल जिन पर भूमि संरक्षण अधिकारी द्वारा प्रगति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा,

(ञ) लाभग्राहियों के अधिकारों तथा दायित्वों के विवरण का प्रपत्र;

(ट) इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन रखे जाने के लिए अपेक्षित विवरण–पत्र, विवरणियां, रजिस्टर तथा अन्य अभिलेख,

(ठ) इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन नोटिसों का प्रपत्र और उन्हें प्रकाशित या तामील करने की रीति;

(ड) इस अधिनियम के अधीन आपत्तियों तथा अपीलों का प्रस्तुत किया जाना और उनका निस्तारण तथा उसके संबंध में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;

(ढ़) किसी ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी के कर्तव्य जिसे इस अधिनियम के अधीन क्षेत्राधिकार प्राप्त हो और ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ; और

(ण) अन्य विषय जो नियत किये जाने हों या नियत किये जा सकते हो।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम, बनाये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान–मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र हो रहा हो, उसके एक सत्र या दकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में कुल चौदह दिन की अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे और जब तक कि कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाये, गजट में उनके प्रकाशन के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों तथा अभिशून्यनों (annulments) के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे जो विधान मंडल के दोनों सदन करने के लिए सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन सम्बद्ध नियमों के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।

1954 के उत्तर प्र0 अधिनियम संख्या 11 का निरसन

34–(1) उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण अधिनियम, 1954 निरस्त किया जाता है।

(2) उक्त अधिनियम की धारा 15 के अधीन पुष्टिकृत योजना इस अधिनियम के अधीन अन्तिम हुई योजना समझी जायेगी और उसके लिए धारा 12 की अपेक्षानुसार एक सामान्य नोटिस प्रकाशित किया जायेगा। पूर्वोक्त अधिनियम के अधीन तैयार की गयी ऐसी योजना जिसे इस प्रकार पुष्ट न किया गया हो, इस अधिनियम की धारा 9 के अधीन तैयार की गयी प्रारूप योजना समझी जायेगी और उसके संबंध में तदनुसार कार्यवाही की जायेगी।

कठिनाइयों को दूर करना

35–(1) यदि उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण अधिनियम, 1954 के उपबन्धों के इस अधिनियम के उपबंधों में संक्रमण करने के संबंध में कोई कठिनाई उत्पन्न हो, तो राज्य सरकार, ऐसे संक्रमण को सुकर बनाने के लिये, गजट में आज्ञा विज्ञाप्ति करके निर्देश दे सकती है कि इस अधिनियम के उपबंध आज्ञा में निर्दिष्ट सीमित अवधि के लिए, ऐसे परिष्कारों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे जो इस प्रकार निर्दिष्ट किये जायें।

(2) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, इस धारा के अधीन कोई आज्ञा न दी जायेगी।

(3) इस धारा के अधीन दी गयी आज्ञा, दी जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान–मंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखी जायेगी।

प्रथम अनुसूची

धारा 1 (2) देखिये

क्रम संख्या	जिलों के नाम	क्रम संख्या	जिलों के नाम
1	आगरा	9	सुल्तानपुर
2	फतेहपुर	10	टेहरी–गढ़वाल
3	हमीरपुर	11	लखनऊ
4	जालौन	12	सीतापुर
5	झांसी	13	फर्रूखाबाद
6	मथुरा	14	इलाहाबाद
7	मिर्जापुर	15	बांदा
8	प्रतापगढ़	16	मेरठ

द्वितीय अनुसूची

[धारा 2 (12) देखिये]

भूमि एवं जल–संरक्षण से सम्बद्ध विषय–

1–वायु द्वारा कटाव और जल द्वारा कटाव (परत कटाव, जलमार्ग और दरारों का बनाना, किनारों का कटाव और बाढ़) के विरोधी उपाय, यथाः

(क) मेड़ों, डौलों और बंधियों का निर्माण और उन पर मूंज, सरकण्डा अथवा अन्य भूमिबंधक घासों और पौधों का लगाना;

(ख) भूमि को समतल करना;

(ग) समोच्चरेखीय कृषि ;

(घ) किसी भी क्षेत्र में जहां कटाव होता हो, ट्रैक्टरों द्वारा गहरी खेती की मनाही;

(ड) विरल फसले उगाने की मनाही ;

(च) पट्टियों में खेती ;

(छ) वर्षा ऋतु में जल्दी पकने वाली फलीदार फसलें तथा अन्य सघन फसल उगाना ;

(ज) हरी खाद देना, और अधिक मात्रा वाली आर्गेनिक खादों, जैसे कम्पोस्ट फार्मयार्ड मैन्योर (पांस) इत्यादि का प्रयोग,

(झ) भूमि का खेती से विश्राम, यदि उस पर खेती होते रहना उस भूमि के लिए अथवा अन्य भूमि के लिये हानिकार हो;

(ञ) चराई पर नियन्त्रण ;

(ट) किसी भूमि के कटाव से बचाव के लिये अथवा अन्य किसी भूमि के बचाव के लिए उस पर वन लगाना अथवा फलवृक्ष लगाना अथवा पशुचर बनाना;

(ठ) वायु के गतिरोध के लिये वृक्ष या झाड़ियां लगाना;

(ड) वृक्षों को गिराने, या छाटने या झाड़ियां साफ करने पर नियन्त्रण ;

(ढ) कृषीय प्रयोजनों के लिये हीन (marginal)

और अतिहीन (sub-marginal) भूमियों को तोड़ने की मनाही।

2–जल भरने और अवरूद्ध होने के विरोधी उपाय, यथा :

(क) जल भरे क्षेत्रों को पोखर बना देना ;

(ख) जल निकासी की नालियां खोलना ;

(ग) भूमिगत जल को पम्प करके निकालना;

(घ) रेल–पथ, नहर अथवा सड़क के बांध की पुलियों और जलमार्गों की संख्या बढ़ाना अथवा वर्तमान पुलियों इत्यादि को चौड़ा करना ।

3–भूड़ क्षेत्रों को सुधारने के उपाय, यथाः

(क) मेड़ों, डौलों और बंधियों का निर्माण और उन पर मूंज, सरकंडा अथवा अन्य भूमि बंधक घासों और पौधों का लगाना,

(ख) भूमि को समतल करना,

(ग) ट्रैक्टरों द्वारा गहरी खेती की मनाही,

(घ) फलीदार फसलें उगाना,

(ड.) हरी खाद देना और कम्पोस्ट, फार्मयार्ड मैन्योर (पांस) इत्यादि जैसी अधिक मात्रा वाली आर्गेनिक खादों का प्रयोग,

(च) चराई पर नियंत्रण।

4–ऊसर भूमि का उद्धार और ऊसर होने से रोकने के उपाय, यथाः

(क) उन क्षेत्रों में जहां भूमिगत जल–तल उच्च हों, ऊपर के तथा भूमि के भीतर के जल का निष्कासन,

(ख) उन क्षेत्रों में जहां भूमिगत जल–तल नीचा हो हानिकर नमकों को निकालने के लिये बंधियों का निर्माण और बरसाती तथा नहरी पानी का बंधान,

(ग) जहां जल भरता हो वहां जल निकासी नालियों की व्यवस्था करना, तथा

(घ) सेलखड़ी (जिप्सम) का प्रयोग।

5–भूमि एवं जल संरक्षण की साधक रचनाओं का (works) का अनुरक्षण और उनकी मरम्मत, वह रचना चाहे योजना के अधीन की या बनायी गयी हो, चाहे अन्यथा।

6–अन्य उपाय जो नियत किये जायें।